# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

## पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

## राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 104/20

1. वसूखां पुत्र बक्केखां जाति मुसलमान निवासी 12 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सबीरखां पुत्र बक्केखां जाति मुसलमान निवासी 12 केएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर। ......
प्रार्थीगण

बनाम

1. श्यामूखां पुत्र अल्लाबसाया
2. अल्लाजवाये खां
3. गड्डूखां पुत्रगण श्यामूखां जाति मुसलमान निवासी 6 पीआरएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला ......
अप्रार्थीगण

**राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट**

:निर्णय: दिनांक 06.09.2021

प्रार्थना पत्र का ब्यौरा इस तरह से है कि विवादित आराज जमीन चक 6 PRM के मुरब्बा नंबर 56/13, 56/4, 56/12, 56/ 21 व चक 7 KHM के मुरब्बा नंबर 97/48, 98/41 की कुल 6.9 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के दादा श्यामूखां के नाम दर्ज है प्रार्थीगण का कहना है कि दादा द्वारा उस जमीन का 1/5 हिस्सा प्रार्थीगण के पक्ष में हिबा कर दिया था और इस तरह से प्रार्थीगण उस भूमि पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा विवादित जमीन में से निम्न जमीनः–

मुरब्बा नंबर 56/21 का किला नंबर 21 से 25 और मुरब्बा नंबर 56/4 का किला नंबर 22 से 25 का दानपत्र प्रार्थी संख्या दो और तीन के पक्ष में तस्दीक कर दिया है। प्रार्थीगण के मुताबिक अप्रार्थी संख्या एक को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि विवादित जमीन का हिबा प्रार्थीगण के पक्ष में कर दिया गया था।

अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया है की [illegible] जमीन का अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए आवंटन प्राप्त हुई है इसलिए उसको उस [illegible] की गिफ्ट के जरिए हस्तांतरण करने का हक हासिल है, दूसरा अप्रार्थी संख्या [illegible] प्रार्थी के पक्ष में किसी भी तरह का हिबा तस्दीक नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 16:08:28 IST
Reason: SelfAttested

अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया। प्रार्थीगण कोई लिखित दस्तावेज या सबूत पेश नहीं कर पाए हैं जिससे यह साबित हो की विवादित

जमीन का हिबा उनके पक्ष में किया गया था। दूसरा वादीगण की दलीलों में स्पष्ट नहीं है। एक तरफ तो यह दलील पेश की गई है कि जिस जमीन का दान प्रार्थी संख्या दो और तीन के पक्ष में किया गया है उस जमीन का हिबा वादीगण के पक्ष में पहले ही किया जा चुका है वहीं दूसरी ओर यह दलील दी गई है कि क्योंकि विवादित जमीन अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित की गई थी इसलिए उस जमीन के 1/5 हिस्से पर वादीगण का हिस्सा है हक है।

इसलिए अदालत का मानना है  मामले में स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित नहीं है। धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक  को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2022.02.10 15:08:28 IST
Reason: SelfAttested